प्रेषक,

आयुक्त,
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक – एन0ओ0सी0/__________/2021–22 दिनांक : 25,अक्टूबर 2021

विषय– डा0 आई0 डी0 वर्मा पब्लिक स्कूल, गड़वार, जनपद बलिया को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेंतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैं–

1. विद्यालय की पंजीकृत समिति का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद /बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली / कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जाम्निेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती हैं, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चत माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय के रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेंगे।
9. उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन /संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2– उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धो का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(जगत राज)
आयुक्त
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

पृ0सं0–/एन0ओ0सी0/6691-53/2021–22 तद् दिनांक वही.।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
4. जिलाधिकारी, बलिया
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. प्रबन्धक, डा0 आई0 डी0 वर्मा पब्लिक स्कूल, गड़वार, बलिया।
8. गार्ड फाइल हेतू।

(जगत राज)
आयुक्त
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

Scanned with OKEN Scanner